बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं०सं०– पि०व०/4/वि०यो०–22–08/2023– 1769, पटना, दिनांक– 21/11/2024

संकल्प

विषयः– पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित सभी अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में आवासित छात्राओं को भोजन (जलपान सहित) आदि की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ–सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई की सेवा का कार्य संशोधित दर पर बिहार वित्त नियमावली, 2005 के नियम 131 झ(ड़) के आलोक में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित समुदायिक संगठन के माध्यम से किये जाने एवं व्यय की स्वीकृति।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के परिवारों से आनेवाले प्रतिभावान छात्राओं को चयनित कर उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में प्रयास कर उन्हें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से सबल और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य में 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित है। जिसमें कक्षा– 6 से कक्षा–12 तक निःशुल्क शिक्षा के साथ–साथ निःशुल्क आवासन, भोजन, वस्त्रादि की सुविधा का प्रावधान है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–24 दिनांक–19.03.2021 द्वारा उक्त आवासीय विद्यालयों में आवासित छात्राओं की दैनिक आवश्यकताओं एवं संस्थान के रख–रखाव हेतु आवश्यक सामग्रियों के प्रावधानों में दर में संशोधन की स्वीकृति तथा देय सामग्रियों के प्रावधान, क्रय प्रक्रिया एवं पद्धति में गुणात्मक सुधार हेतु दिशा–निदेशों की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें आवासित छात्राओं के लिए मेन्यु, पोशाक एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों का भी प्रावधान निर्धारित किया गया है।

3. सभी आवासीय विद्यालयों में बेहतर एवं सुदृढ़ सेवा प्रदान करने तथा आवश्यक सुविधाओं को उत्तम बनाने हेतु राज्य सरकर प्रतिबद्ध है। सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के सभी अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में आवासित छात्राओं को भोजन (जलपान सहित) आदि की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ–सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई की सेवा का कार्य बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से निम्नांकित शर्त्तो पर किये जाने की स्वीकृति दी जाती है :–

(i) संचालित सभी आवासीय विद्यालयों के छात्राओं को आवासन की अवधि में शुद्ध, स्वादिष्ट, पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था, वस्त्रों की आपूर्ति तथा विद्यालय परिसर की साफ–सफाई एवं वस्त्रों की धुलाई की सेवा का कार्य संशोधित दर पर बिहार वित्त नियमावली, 2005 के नियम 131 झ(ड़) के आलोक में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से किये जाने एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) विद्यालयों के छात्राओं को आवासन अवधि में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ–सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई की सेवा का कार्य के लिए बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के साथ अनुबंध किया जायेगा।

(iii) ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के पत्रांक–1509 / 19 दिनांक–29.09.2023 द्वारा प्राप्त समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) के अनुसार भोजन (जलपान सहित) रू0 99 / –(रू0 निन्यानवे) प्रति छात्रा प्रति दिन की दर पर मेस संचालन की स्वीकृति दी जाती है। अतएव इस योजना के क्रियान्वयन में एक वर्ष के लिए अनुमानित व्यय भार रू0 66,25,47,600 / – (रू0 छियासठ करोड़ पचीस लाख सैंतालीस हजार छः सौ) मात्र संभावित होगा।

(iv) आवासीय विद्यालय के छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति–

(क) बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन द्वारा आवासीय विद्यालय में आवासित छात्राओं के लिए निम्नांकित दर पर पोशाक प्रति 2 सेट प्रति छात्रा आपूर्ति की जाएगीः–

क्रमांक	मद	कक्षा (6 से 8) (2 सेट के लिए)	कक्षा (9 से 12) (2 सेट के लिए)
1	बालिका	1150 प्रति छात्रा	1400 प्रति छात्रा

प्रत्येक बालिका को चार सेट पोशाक देय होगा। पोशाक में विभाग द्वारा निर्धारित किए गए उपयुक्त वस्त्र एवं रंग शामिल होगा।

अतएव इस योजना के क्रियान्वयन में एक वर्ष के लिए अनुमानित व्यय भार रू0 5,44,44,000 / – (रू0 पाँच करोड़ चौवालीस लाख चौवालीस हजार) मात्र संभावित होगा।

(ख) पोशाक की जीविका से अधिप्राप्ति एवं वितरण, संचालित आवासीय विद्यालयों से प्राप्त ''इण्डेन्ट'' के आधार पर संबंधित जिला के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(ग) पोशाक के क्रय हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–24 दिनांक– 19.03.2021 द्वारा तेल, साबुन, सर्फ, दवा, वस्त्र हेतु DBT के लिए निर्धारित दर रू0 7500 / –(सात हजार पाँच सौ रूपया) प्रति छात्रा प्रति वर्ष में से पोशाक की राशि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति को विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, जो माँग एवं आपूर्त्ति किये जाने के आधार पर केन्द्रीकृत भुगतान, ''जीविका संपोषित सामुदायिक संगठन, जीविका'' को करेंगे तथा अवशेष अंतर राशि निम्न प्रकार से छात्राओं को डी0बी0टी0 किया जायेगाः–

क्र0सं०	मद	कक्षा (6 से 8)		कक्षा (9 से 12)	
		पोशाक की राशि (4 सेट)	डी0बी0टी0 की राशि	पोशाक की राशि (4सेट)	डी0बी0टी0 की राशि
1.	बालिका	रू0 2300 / –प्रति छात्रा	रू0 5200 / – प्रति छात्रा	रू0 2800 / –प्रति छात्रा	रू0 4700 / – प्रति छात्रा

(v) पोशाक की धुलाई की सेवा एवं विद्यालय भवनों एवं परिसर की साफ–सफाई –

(क) पोशाक की धुलाई में बालिकाओं द्वारा प्रयुक्त वस्त्र, चादर (तकिया–गिलाफ सहित), पोशाक, अन्य सभी वस्त्रों की सफाई निस्संक्रामक (Disinfected), ब्लीचिंग (आवश्यकतानुसार) एवं सुखाना शामिल होगा। लाउण्ड्री के लिए रुपये 30/–(रुपये तीस) मात्र प्रति किलोग्राम (Consumables सहित) का दर अनुमान्य होगा। इसके लिए एक सप्ताह में एक बार चार सेट पोशाक एवं एक चादर (तकिया–गिलाफ सहित) अधिकतम अनुमान्य होगा। अतएव इस योजना के क्रियान्वयन में एक वर्ष के लिए अनुमानित व्यय भार रू0 2,94,91,200/– (रू0 दो करोड़ चौरानवे लाख ईक्यानवे हजार दो सौ) मात्र संभावित होगा।

(ख) विद्यालयों के साफ–सफाई में विद्यालय के सभी भवन एवं पूरा परिसर (टॉयलेट/प्रसाधन सहित) शामिल होगा। साफ–सफाई के लिए रुपये रू0 11/– (रू0 ग्यारह) मात्र प्रति छात्रा प्रति दिन अनुमान्य होगा। दर का आधार बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा मांग किये गये दर को माना गया है। अतएव इस योजना के क्रियान्वयन में एक वर्ष के लिए अनुमानित व्यय भार रू0 8,14,24,200/– (रू0 आठ करोड़ चौदह लाख चौबीस हजार दो सौ) मात्र संभावित होगा।

(vi) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सेवाओं के विरूद्ध राशि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) को उपलब्ध करायी जायेगी।

(vii) भोजन (जलपान सहित), पोशाक की आपूर्ति, पोशाकों की धुलाई एवं विद्यालय भवनों एवं परिसर की साफ–सफाई पर होने वाले व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत आवासीय विद्यालय के संधारण के सुसंगत विषय शीर्ष में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(viii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में उपरोक्त सेवाओं का कार्य मूल्यांकन संतोषजनक रहने पर मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए 05 (पाँच) प्रतिशत वार्षिक मूल्य वृद्धि की जाएगी तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सेवाओं के विरूद्ध आवश्यकतानुसार अग्रिम राशि बिहार ग्रामीण जीविकोर्पाजन प्रोत्साहन समीति (जीविका) को उपलब्ध कराई जाएगी।

(ix) जीविका द्वारा सभी आवासीय विद्यालय के भवनों एवं परिसर की साफ–सफाई हेतु साफ–सफाई की सेवाएँ अनिवार्य रूप से सप्ताह के सातों दिन चक्रीय रूप से 24X7 उपलब्ध कराई जायेगी। पोशाक की धुलाई की सेवाएँ भी आवश्यकतानुसार निर्बाध रखने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी जीविका की होगी ।

(x) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के द्वारा इस व्यवस्था का सतत् अनुश्रवण तथा मूल्यांकन किया जाएगा। जीविका के माध्यम से इन सेवाओं को प्राप्त किये जाने एवं जीविका द्वारा किये जा रहे कार्यो के मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण तथा आवश्यक मार्गदर्शिका पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

(xi) बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के साथ अनुबंध तीन वर्षों के लिए किया जायेगा। इस अवधि में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का सतत् अनुश्रवण, कार्य की गुणवत्ता एवं परिणाम का मूल्यांकन कराया जायेगा। प्राप्त सेवाएँ मानक स्तर की पाये जाने पर अवधि विस्तार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर किया जा सकेगा।

(xii) उक्त कार्यों के लिए आवश्यक स्थान/कमरा (बिजली, पानी तथा प्रसाधन की व्यवस्था सहित) बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) को संबंधित जिला के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी द्वारा विद्यालय परिसर में उपलब्ध कराया जायेगा।

4. विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–24 दिनांक–19.03.2021 के परिशिष्ट–2, परिशिष्ट–3 एवं परिशिष्ट–4 में वर्णित भोजन (जलपान सहित) आदि की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ–सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई की सेवा के कार्य से संबंधित कंडिका को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

5. यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–14.11.2024 में मद संख्या–27 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

7. प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को ''बिहार राजपत्र'' के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित कराया जाए और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21/11/24

(मनोज कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/4/वि0यो0–22–08/2023– 1769 पटना, दिनांक– 21/11/2024

प्रतिलिपि– अवर सचिव, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को संकल्प की दो हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या–27 दिनांक–14.11.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4. महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक

कल्याण / सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6. सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7. माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आप्त सचिव / सभी पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8. सभी प्रधानाध्यापक, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9. आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई०–मेल के माध्यम से सूचित करने के निदेश के साथ प्रेषित।

21/11/24

सरकार के सचिव।